

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

संख्या 18/2023	धारा अन्तर्गत 53 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 30.07.2024
मक्ष : श्री रामगिरे	आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां	
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:- श्री नारायणलाल चौरसिया		अभिभाषक प्रतिवादी:-

## वाद शीर्षक

उनवान

मंगीलाल आयु 70 वर्ष आत्मज अमरलाल जाति बैरवा व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम कैशोली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. नन्दकिशोर आत्मज जानकीलाल ब्राह्मण गोरखपुर तह0 छबडा जिला बारां (राज0)
2. हंसराज आत्मज जानकीलाल ब्राह्मण गोरखपुर तह0 छबडा जिला बारां (राज0)
3. जगदीश आत्मज जानकीलाल ब्राह्मण गोरखपुर तह0 छबडा जिला बारां (राज0)
4. देवकीनन्दन आत्मज जानकीलाल ब्राह्मण गोरखपुर तह0 छबडा जिला बारां (राज0)
5. संतोष कुमार आत्मज जानकीलाल ब्राह्मण गोरखपुर तह0 छबडा जिला बारां (राज0)
6. धनश्याम आत्मज जानकीलाल ब्राह्मण गोरखपुर तह0 छबडा जिला बारां (राज0)
7. रमेशचन्द आत्मज जानकीलाल ब्राह्मण गोरखपुर तह0 छबडा जिला बारां (राज0)
8. जुगल किशोर आत्मज जानकीलाल ब्राह्मण गोरखपुर तह0 छबडा जिला बारां (राज0)
9. सुमित्रा बाई पुत्री जानकीलाल ब्राह्मण गोरखपुर तह0 छबडा हाल पत्नि शम्भूदयाल ब्राह्मण ग्राम कैशोली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
10. मथुरा आत्मज कन्हैयालाल ब्राह्मण गोरखपुर तह0 छबडा जिला बारां (राज0)
11. नरेन्द्र आत्मज बट्टीलाल ब्राह्मण गोरखपुर तह0 छबडा जिला बारां (राज0)
12. चेतन कुमारी बेवा बट्टीलाल ब्राह्मण गोरखपुर तह0 छबडा जिला बारां (राज0)
13. अलेश बाई पुत्री बट्टीलाल ब्राह्मण गोरखपुर तह0 छबडा जिला बारां (राज0)
14. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:-

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी ग्राम गोरखपुर का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	दिशा
मांगीलाल पुत्र अमरलाल बैरवा सा0 कैशोली	149	2.12	-
	151 / 1	0.04	उतरी
	किता -2	2.16	-
नन्दकिशोर, हंसराज, जगदीश, देवकीनन्दन, संतोष, कुमार, धनश्याम, रमेश, जुगलकिशोर, पुत्र सुमित्रा पुत्री जानकीलाल, मथुरालाल, पुत्र कन्हैयालाल, नरेन्द्र पुत्र, चेतना कुमारी बेवा, अलेश बाई पुत्री बट्टीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गोरखपुर तह0 छबडा	149 / 165	1.18	-
	151 / 2	0.19	दक्षिणी
	किता -2	2.17	-

उपरोक्तनुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल करवाये जायें तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

साथ ही विभाजनुसार ..... रु0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश को पक्षकार एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.07.2024 को निर्गत किया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बारां जिला-बारां  
छबडा (बारां)

क्र.सं.	व्ययानुतोष	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( : )		
10.	योग		

